न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सविता शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 25/2023
GCMS No.2023/77

1. ममता पत्नी अशोक कुमार
2. रमेश देवी पत्नी रघुवीर सिंह
   जाति मेघवाल निवासी मेहाडा गुर्जरवास तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू, राज0

.......वादियागण

ब–ना–म

1. उदय सिंह पुत्र राजेन्द्र
2. कृष्ण पुत्र राजेन्द्र
3. सजना पत्नी राजेन्द्र
4. जितेन्द्र पुत्र रामस्वरूप
5. मुकेश पुत्र रामस्वरूप
6. श्यामसुन्दर पुत्र रामस्वरूप
7. सुनिल पुत्र रामस्वरूप
   जाति खाती निवासीगण मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. कविता पुत्री रामस्वरूप पत्नी रामचन्द्र
9. शारदा पुत्री रामस्वरूप पत्नी भूरसिंह
   जाति खाती निवासी बगवाड़ी खुर्द तहसील बहरोड़ जिला अलवर, राज0
10. इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर तहसील खेतडी जरिये शाखा प्रबन्धक।
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार, खेतडी।

.........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 25–06–2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.07.03 14:37:38 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय [illegible] 11–12–2023 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया [illegible] हल्का त्यौंदा तहसील खेतडी हाल जिला नीमकाथाना राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2073–2[illegible] हाल खाता संख्या 308 के हाल खसरा नंबर 2038 रकबा [illegible] हैक्टेयर में वादियाग[illegible]क के 13/100, 13/100 हिस्से की भूमि का 12 फुट चौडा रास्ता कायम करते हुये मौका कब्जा

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

काश्त के अनुसार खाता अलग–अलग कायम कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बंधी राजस्व विभाग के परित्र दिनांक 06.11.2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्यनजर रखते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/रथा./प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतडी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतडी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2024/292 दिनांक 08.02.2024 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादियागण विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादियागण ने तहसीलदार, खेतडी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–02–2024 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–02–2024 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–8'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादियागण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–02–2024 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–8'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादियागण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–02–2024 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–8'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–02–2024 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–8'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतडी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.07.03 14:57:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

25/6/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सविता शर्मा, आर.ए.एस.

उनवान

ममता आदि

ब–ना–म

उदय सिंह आदि

दावा बाबत **खाता विभाजन**

मुकदमा नम्बर :– 25 / 2023

निर्णय दिनांक :– 25–06–2024

वादियागण की ओर से **श्री शीशराम सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से ... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25–06–2024 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

''अतः वाद वादियागण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–02–2024 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–8'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–02–2024 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–8'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।''

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25–06–2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला-नीमकाथाना (राज.)

25/6/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.07.03 14:57:38 IST
Reason: SelfAttested

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी